भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 164

जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31आषाढ़, 1946 (शक) को दिया गया

आरक्षित ऋण

164. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आरक्षित ऋण प्रदान किए जाने का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) बैंकिंग क्षेत्र के लिए आरक्षित ऋण को यथासंभव सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वंचित वर्गों के लिए आरक्षित ऋण के महत्व को ध्यान में रखते हुए और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने पर इस क्षेत्र में व्यापक नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने उन क्षेत्रों, जो ऋण योग्य होते हुए भी बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त ऋण तक पहुंच नहीं रखते हैं, के लिए ऋण प्रवाह की सुविधा देने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) दिशानिर्देश बनाए हैं। आरबीआई ने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) के 40% का समग्र लक्ष्य निर्धारित किया है। एएनबीसी/सीईओबीई के 40%, जो भी अधिक हो, के समग्र लक्ष्य में से कृषि के लिए 18% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छोटे और सीमांत किसानों जैसे विशिष्ट वर्गों के लिए 10% और सूक्ष्म उद्यमों के लिए 7.5% का उप-लक्ष्य विनिर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, कमज़ोर वर्गों जिनमें, अन्य के साथ-साथ, अनुसूचित जातियां (एससी) और अनसूचित जनजातियां (एसटी), छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, एनआरएलएम/एनयूएलएम के लाभार्थी, स्व-सहायता समूह (एसएचजी), अल्पसंख्यक समुदाय आदि शामिल हैं, को उधार देने के लिए 12% का लक्ष्य अधिदेशित किया गया है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पीएसएल के अंतर्गत ऋण की वर्तमान स्थिति (31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार) :

क्षेत्र	राशि (करोड़ में)	एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	% उपलब्धि
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार	6330079	40	45.33
कृषि अग्रिम	2636664	18	18.88
छोटे और सीमांत किसान	1507638	10	10.80
सूक्ष्म उद्यम	1273968	7.5	9.12
कमज़ोर वर्ग	1888902	12	13.53

स्रोत: आरबीआई

अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को ऋण सुविधाएं

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने 16 अप्रैल, 2024 को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को ऋण सुविधाओं के संबंध में एक मास्टर परिपत्र जारी किया है, जिसमें बैंकों से एससी/एसटी को अग्रिम प्रदान करने में तेजी लाने के लिए उपाय करने की सलाह दी गई है।

- बैंकों को अपनी उधार प्रक्रियाओं और नीतियों की आवधिक समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि ऋण समय पर स्वीकृत किए गए और पर्याप्त मात्रा में होने के साथ-साथ उत्पादन उन्मुख हैं तथा साथ ही इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तरोत्तर आय सृजित हो।
- बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन योजनाओं/ स्वरोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण आवेदन पत्रों पर विचार करते समय अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उधारकर्ताओं से जमाराशि की मांग नहीं करनी चाहिए।
- सरकारी योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी) के ऋण आवेदन पत्रों को शाखा स्तर के बजाय अगले उच्चतर स्तर पर अस्वीकृत किया जाना चाहिए तथा अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
- अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी) लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋण पर निगरानी रखने के लिए प्रधान कार्यालय में एक विशेष कक्ष की स्थापना की जाए।

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं

आरबीआई ने अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाओं के संबंध में 1 अप्रैल, 2023 को मास्टर परिपत्र जारी किया है ताकि अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं द्वारा मिलने वाले लाभों को उचित और पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, बैंकों को अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई है।

*****